भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1179

उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों की निगरानी करना

1179. श्री भगत सिंह कोश्यारी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत नई सरकारी/निजी तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधन संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पूरे देश में राज्य-वार विभिन्न विषयों के लिए कितनी अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या प्रवेश प्रक्रिया, विद्यमान संकाय की गुणवत्ता तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप उनकी अवसंरचना सुनिश्चित करने के अलावा इन संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई निगरानी एजेन्सी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक प्रासंगिक तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ0 डी. पुरंदेश्वरी)

(क): देश में संचालनरत तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की राज्यवार संख्या अनुबंध-। पर दी गई है।

(ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (घ): अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश की तकनीकी संस्थाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं को विनियमित करने हेतु विभिन्न मानदंड और मानक बनाए हैं। नई संस्थाएं स्थापित करने और एक्सटेंशन प्रदान करने की स्वीकृति देने के लिए नए पाठ्यक्रम, अतिरिक्त प्रवेश इत्यादि के लिए अनुमोदन आधारिक सुविधाओं और संकाय इत्यादि के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदन हेतु उपयुक्तता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। ये मानदंड और मानक सभी कालेजों के लिए एक समान रूप से लागू होते हैं। विभिन्न वर्गों के तहत व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश राज्य सरकार के प्रवेश के लिए अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किए जाते हैं। भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों की अपनी-अपनी आरक्षण नीतियां हैं और प्रवेश के लिए आयोजित राज्य काउंसलिंग में एआईसीटीई की कोई भूमिका नहीं है।

(ग): अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पालिटेक्नीक और इंजीनियरी कालेजों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता कार्यढांचा शुरू किया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता कार्यढांचे से व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कुशलता के विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान होगा।

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की निगरानी करने के बारे में श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राज्य सभा में दिनांक 23.3.2012 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	इंजीनियरी कालेज	पालीटेक्नीक संस्थान	पीजीडीएम संस्थान	एमबीए संस्थान
		कुल सं.	कुल	कुल	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	1881	333	31	978
3	अरूणाचल प्रदेश	3	3	0	1
4	असम	30	13	2	6
5	बिहार	61	22	2	16
6	चण्डीगढ़	12	6	0	0
7	छत्तीसगढ़	113	42	5	26
8	दादर और नगर हवेली	3	1	0	1
9	दमन और दीव	1	1	0	0
10	दिल्ली	79	42	8	21
11	गोवा	16	10	0	0
12	गुजरात	415	125	11	128
13	हरियाणा	476	222	13	164
14	हिमाचल प्रदेश	76	37	0	16
15	जम्मू और कश्मीर	40	17	1	13
16	झारखंड	45	27	6	7
17	कर्नाटक	666	276	15	207
18	केरल	297	73	7	65
19	मध्य प्रदेश	535	113	14	213
20	महाराष्ट्र	1455	659	57	414
21	मणिपुर	3	1	0	0
22	मेघालय	5	3	0	0
23	मिज़ोरम	1		0	0
24	उड़ीसा	282	131	18	84
25	पुदुचेरी	27	9	0	6
26	पंजाब	389	175	4	155
27	राजस्थान	512	279	14	144
28	सिक्किम	4	2	0	1
29	तमिलनाडु	1301	498	7	400
30	त्रिपुरा	2	2	0	0
31	उत्तर प्रदेश	1033	425	84	473
32	उत्तराखंड	156	74	4	49
33	पश्चिम बंगाल	219	95	5	56
	कुल योग	**10139**	**3716**	**308**	**3644**